



वर्तमान में दलित वर्ग की समस्याएँ Vartman me Dalit Varg ki Samasya

* Dr. H. L. Chavda

* एग्नोसिटेड प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, भावनगर विश्व-विद्यालय, भावनगर

भारतीय समाज में सदियों से दलित एवम पीड़ित लोगों को दलित कहा जाता है। इस वर्ग को अस्पृश्य नाम भी दिया गया है। यह वर्ग धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से नागरिक अधिकारों से वंचित रहा है। इस वर्ग के लिए ब्रिटिश सरकार ने 'Depressed Class' शब्द का प्रयोग किया था, जिसका महात्मा गांधीजी और नरसिंह महता ने 'हरजिन' कहकर पुकारा। यह वर्ग प्राचीन समय में 'पंचम वर्ण' के नाम से जाना जाता था। स्वातंत्र्योत्तर युग में भारतीय संविधान में 'अनुसूचित जाति' नाम से अभिहित किया गया यह वर्ग 'दलित वर्ग' के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए गौरव का अहसास करता है। जिनहोंने अपना दलित साहित्य भी विकसित किया है।

२००९ की जनगणना के अनुसार भारत में से गुजरात के दलित वर्ग की जन संख्या ३५.९२ लाख थी। जबकि सम्पूर्ण भारत में १६६५.७६ लाख थी। गुजरात में भी कच्छ जिल्ले में १९.७४% दलित नविसति है, जबकी सबसे कम प्रमाण डांग जिल्ले में ०.४६% दिखाई पड रहा है। सम्पूर्ण गुजरात कुल मलिकर ३० समूह नविसति है। महायावंगी, वणकर, चमार, भांभी, मेघवाल, भंगी, गरोड इत्यादी। इनमे से मारू वणकर ४४.४२%, रोहडिस-रोहति, भांभी २४.९७%, भंगी महतर २४.९७% जनसंख्या अधिकांश ६०.६६% दलितवर्ग ग्रामीण है।

१९९७ की जनगणनानुसार १८.३३% दलितवर्ग भारतीय शहरो में नविस कर रहा है। जबकि गुजरात में ३७.९४% वर्ग शहरो में नविसति है।

संपूर्ण भारत की तुलना में गुजरात का दलितवर्ग अधिक साक्षर एवम शक्ति है। ९०.१४% गांधीनगर में सबसे ज्यादा जबकि सबसे कम बनासकांठा में ४०.७२% शक्ति है।

खेतहरो का प्रमाण १२.५५% खेतमजदूरो का प्रमाण ४९.४७% तथा अन्य सेवाओं में रत १६.१२% दलितवर्ग है।

३२% दलितो के पास १ हेक्टर से कम जमीन है, २७% दलितो के पास २ हेक्टर जमीन है, ०२% के पास १० हेक्टर से भी अधिक जमीन अपनी मालिकी की है। महादअंश के दलित वर्ग के पास जीवन-चापन कर सके उतनी जमीन नहीं है।

०९.०१% दलित वर्ग स्नातक है, ०.९% इंजनेर है, जबकि ०९.५% तबबिो के प्रमाण मलित है।

राजकीय रूप से खुद के हित एवम संवर्धन हेतु विविध पक्षों में बंट गये है।

जनसंख्या	अहमदाबाद	- ६२०७६५	-	१०.६७%
	भावनगर	- १४२१२८	-	०५.७६%
शहरीकरण	अहमदाबाद	- ६२०७६५	-	३५.०९%
	भावनगर	- १४२१२८	-	०३.८६%
शक्ति	अहमदाबाद	- पुरुष ८२.७९ - ७०.८५%		
		स्त्री - ५७.३७		
	भावनगर	पुरुष - ६९.५२ - ५२.७६%		
		स्त्री - ३५.०४		

विकास एवम शहरीकरण के कारन अत्याचार के कसिसे कम होंगे ऐसे अनुमान के सामने नरिशा ही मलित।

दलितवर्ग की ०७ लाख जनसंख्या के सामने १४६२७ अत्याचार के कसिसे दर्ज है। १९९० से १९९२ के समयावध में ४६५९ अत्याचार के केस दर्ज हुए।

टी.के.ओमन के मतानुसार - 'भारतीय समाज मुख्य रूप से बराहमण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र जैसे पांच भागों में विभाजित था, जसि पंचम या पंचजन नाम से भी पहचाना जाता है।

'दलित' शब्द का अर्थ एवम परिभाषा :-

दलित शब्द संस्कृत की 'दल' धातु से वुपतन है जो ६०-७० सालों से भारतीय समाज में 'दलित' शब्द के रूप में व्यवहृत है।

डॉ. आम्बेडकरजी ने अब्याज, बहिष्कृत एवम पददलितों के लिए 'कुचला हुआ वर्ग' संज्ञा से अभिहित किया है।

प्राचीन युग से भारतीय समाज में शुद्र, चांडाल, दसतु, असुर, पंचम, अक्षत, अंत्यज, हरजिन, पददलित इत्यादी नाम से पहचाने जाते थे। आज यह नाम 'दलित' शब्द में समा गए।

साहित्य में 'दलित' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेमचंदजी ने ई.स. १९३६ में तथा गुजराती साहित्य परिषद

के तेरवेह अधिवेशन में प्रमुख कनैथालाल मुंशी ने ई.स. १६३७-३८ में किया था। मेघाणी कृत 'युग वंदना' (ई.स. १९३५) काव्य संग्रह में भी दलित शब्द का प्रयोग हुआ है। डॉ. आम्बेडकरजी ने दलित वर्ग की पहचान हेतु 'अनुसूचित' शब्द का प्रयोग किया था।

(1) **नामदेव डसाल के मतानुसार** - 'अनुसूचित जाति- जनजाति, में 'नवबौद्ध, जमीन वहीन क्षत्रको, आर्थिक रूप से शोषित समुदाय का समावेश होता है।

(2) **मारकुसवादी के अनुसार** - 'सामान्य रूप से दलित वर्ग में ऐसी जातओ का समावेश होता है की समाज की वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नमिनवर्ग के रूप में गिना गया, जसिमे अनुसूचित जाति, जनजात एवम बक्षीपंच वर्ग का भी समावेश होता है।'

(3) **श्रीनिवास के मतानुसार** - 'वर्ण व्यवस्था के मात्र चार भाग थे जसिमे 'पंचम' था। अस्पृश्य वर्ग को स्थान नहीं मलित था।'

(4) **डॉ. दुवे के मतानुसार** - 'पंचम' वर्ग को वर्ण व्यवस्था के चार वर्णों से नमिन वर्ग माना गया है।'

(5) **धूर्य के मतानुसार** - 'अस्पृश्यो की गनिती चार वर्णों से भनित की जाती है।

भारतीय संविधान धारा नं. ३४१ के अंतर्गत राष्ट्रपति को कसिी नशित जाति को अनुसूचित घोषित करे ऐसी सत्ता दी गई है। भारतीय मानसशास्त्रीय सर्वेक्षणनुसार ७५१ समुदायों के लोग अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते है। सधि ने लगभग ६३८ अनुसूचित जातियों की सूची दी है।

ई.स. १९९७ में अनुसूचित वर्ग की जनसंख्या -१३.८२ करोड से अधिक थी, जो १६.४८ प्रतिशत होती है। १८.७२ प्रतिशत जनसंख्या शहरो में नविसति है, जबकि ८१.२८ प्रतिशत संख्या गाँव में है।

अनुसूचित वर्ग की पारंपरिक स्थिति :-

टी.के.ओमन के मतानुसार - 'अनुसूचित जाति के लोग अशुद्धि में जनम लेकर अशुद्धि में ही मृत्यु के द्वाा जाते है। पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत गरीबी, अन्याय, नरिक्षरता, असमानता, शोषण, अन्याय और आरोग्य के रूप से देखे तो तो इन सब में दलित एवम पीड़ित नजर आता है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक कमजोरियों उसके जीवन की वशिषताएँ बन गई।

पारंपरिक स्थिति में परिवर्तन के चनिह :-

- (1) संविधान और अनुसूचित जातियों।
- (2) सामाजिक कायदे-कानून।
- (3) अनुसूचितों के लिए आरक्षण।

उपर्युक्त विविध परिवर्तन के फलस्वरूप दलित वर्ग की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नजर आता है। लेकिन पारंपरिक स्थितियों में संभवतः परिवर्तन न आ पाया। स्वतंत्रता के उनसठ साल के बाद पारंपरिक समस्याएँ नये रूप में सामने आ रही है, जसिके कटु परिणाम दलित वर्ग भुगत रहा है।

समस्या :-

(1) नसिबत के अनुसार - 'सामाजिक समस्या वर्तन की ऐसी रीत है की जो जसिका समाज के कई लोगो, समाज ने स्वीकृत किए एक या उससे ज्यादा नयियों को तोड़ते है।'

(2) कूलर ओर मायर्स के मतानुसार - 'सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थिति है जसिको समाज का वशिष्ट समूह स्वीकृत सामाजिक नयियों से वरिद्ध मानते है।

इस प्रकार सामाजिक समस्याएँ समाज में अनचाही परिस्थितियों मानी जाती है। अर्थात् इसकी समाज पर विपरीत असर होकर जीवन अवरोधक सदिध होती है। इसको समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समस्या के रूप में माना है। इस प्रकार वर्तमान समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जैसी अनेक समस्याएँ दलित वर्ग के विकास में अवरोध नजर आती है।

प्रश्न :-

- (1) वकिसीत वरासमूह की अलपितता।
- (2) सामूहिकता से व्यक्तगित पहचान।
- (3) पारंपरिक ग्राम्य अर्थव्यवस्था एवम नशिक्रिय लोकशाही।
- (4) नशिक्रिय लोकशाही।
- (5) स्थानांतर की समस्या।
- (6) कुदरती आपतियों से पुनःस्थापन।

- (7) मानवसंरजति आपदाओं में सुरक्षा एवम् भौतिक हानि।
 (8) वर्तमान में ग्राम्य एवम् नगरीय समाज में उत्पन्न नये प्रश्न।

वर्कसीत वर्ग समूह की अलपिताता :

वर्तमान समय में दलित वर्ग का अंशतः विकास हुआ, जिसके क्रमशः परिवर्तन समाजी एवम् भौतिक रूप से आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भद्र वर्ग मूल दलित वर्ग से धीरे-धीरे असंग हो रहा है। कई दलितों ने अपने समाज से अपना मुँह मोड़ लिया है। कभी-कभी तो सुखी-सम्पन्न दलित अपने ही पछिड़े हुए भाई-बहनों का शोषक बन जाता है। उद्योगपतियाँ कोर्टाक्टर वर्ग दलित मजदूरों का शोषण करते हैं।

सामूहिकता से व्यक्तगित पहचान :-

मनुस्मृति से स्वतंत्रता तकव्यक्ति की पहचान जातगित होती थी। व्यक्ति से अधिक समूह को महत्त्व प्रदान किया जा रहा था। जाति, कुल, खान-दान, हमारी पहचान के मूलधार थे, जबकि आज आप कौन हो ? या आप किस पद पर हो ? जैसी संकुचित व्यक्तगित पहचान महत्वपूर्ण बन रही है। ऐसी मनः स्थिति से दलित वर्ग को अपने वर्ग का सहकार मुश्किल बनता जा रहा है। व्यक्तगित कुशलता नहीं होती तो हमारी पहचान नहीं बन पाती। इसलिए ही धीरे-धीरे व्यक्ति का अस्तित्व जोखिम के हो ऐसा महसूस हो रहा है।

परंपरिक ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था एवम् नविक्रिय लोकशाही :-

वर्तमान समय में ७०% लोग गाँव में निवासित हैं। जिससे से दलित वर्ग के अधिक से अधिक लोग गाँव में बस रहे हैं। गाँवों में प्राथमिक स्तर के व्यवसाय पाए जाते हैं जो धान्य की उत्पत्ति के समय पर निर्भर हैं। उसमें रोजगार भी 'सीडन' अनुसार मीलता है। सालभर मजदूरी मलिन कठिन है। परिणाम स्वरूप दलित वर्ग को रोजगारी हेतु अनुसार स्थानांतरण करना पड़ता है। रोजगारी न मिलने से परावर्तनी जीवन चयन करना पड़ता है।

लोकशाही औपचारिक रही है। स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में अनामत प्रथा के कारण दलित वर्ग को सत्ता में स्थान मिला है। वह सरिफ़ प्रश्न या मत के मूल्य तक मर्यादित रहा। उसे तो नेतृत्व के आदेशानुसार कार्य करना पड़ता है। वह न तो दलित वर्ग के प्रश्न हल कर सकते हैं और न तो स्वतंत्र विचार कर सकते हैं। पंचायत की न्याय समिति निर्णायक भूमिका अदा करने में निष्फल रही है। निर्णायक समितियों में प्रभावित जातियों के निर्णय मान्य रखे जाते हैं।

स्थानांतरण का कुदरती आपदाओं के बाद पुनःस्थापन :-

दलित एवम् शोषित वर्ग हमेशा गाँव या शहर के अंतिम वसितारों में निवासित होने के कारण कुदरती आपदाएँ उन्हें अधिक प्रभावित करती हैं, इस वर्ग में गरीबी के कारण मकान कच्चे होने से उसे कुदरती आपदाएँ ढहा कर नुकसान करती हैं। २००६ को अतिवृष्टि में गुजरात में खास करके दलित वर्ग के सामने कई मुश्किल खड़ी कर गई हैं।

मानवसंरजति आपदाओं से भौतिक नुकसान एवम् रक्षण का प्रश्न :-

१९९२ के कोमी हुल्लड, बाबरी ध्वंस-२०००, गोधराकांड, मंडल कमिशन इत्यादी घटनाओं के दौरान असंख्य दलित मारे गए, असंख्य बेघर हुए जिसकी वजह से फरि से निवास, रोजगारी एवम् व्यक्तगित सर परिवारी रक्षण के कई प्रश्न दलित वर्ग को हलिया देते हैं।

नये उत्पन्न हुए प्रश्न - इम्पू -

विकास के अनेक परबल और वर्तमान आर्थिक कई नीती के कारण आर्थिक क्षेत्र में जल्दी से बदलाव आ रहा है। साथ ही साथ सामाजिक संस्थाएँ भी परिवर्तित हो रही हैं और इनके परिणाम स्वरूप दलितों के असरकारक अनेक नए मुद्दे सामने आए हैं। जिसि डॉ रूपों में जान सकते हैं।

(1) ग्रामीण क्षेत्र :-

दलितों का स्थान आज भी निम्न असुप्रशय ही रहा है। उसके साथ कम करने के दौरान संपर्क व्यवहार रहता है, परंतु रूठेठाण, दुकान में प्रवेश मंदिर में प्रवेश बिनदलितों के साथ शादी के व्यवहार में सामाजिक हुत्त्व रहा है।

सरकारी योजनाओं में महत्त्व लाभ प्रभावी ज्ञातियों को ही मिलते हैं। जो दलितों को मिलने योग्य हो वैसे लाभ वैसे दलितों को ही मिलने देते हैं, जो उनका कहा मानते हैं।

खेती की जमीन जो दलितों को मिल रही है, वह क्षारयुक्त एवम् आर्थिक दृष्टि से पैसो का व्यय भी ज्यादा होता है। ज्यादातर यह नुकसानकारक रही है या प्रभावी ज्ञातियों से हल होने देती नहीं है।

पंचायत में न्याय समिति की रचना करी अनविद्य है। परंतु वह प्रक्रिया कागज तक ही सीमित रही है। इसकी असरकारकता उत्पन्न होने ही नहीं दी है।

लाभ मिलते हैं वह कहने के लिए ही है उन्नति व उत्कर्ष में वह लाभ देखने तक नहीं मिलते।

दलितों की अपनी असंगठितता गाँवों को बखिर देती है। सहकार की भावना का आभाव है।

सबका विकास नहीं हुआ सरिफ़ २ से ५% ही विकास हुआ है।

पीढ़ी दर पीढ़ी सद्घरता प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण विकास सरिफ़ उपरी है।

परंपरिक व्यवसाय नहीं रहे और नए व्यवसायों में श्रमिक वर्ग और नए व्यवसायों में श्रमिक वर्ग के रूप में रहना पड़ता है।

(2) नगरीय समाज में :-

जो दलित वर्ग गाँव से नगर में व्यवसाय हेतु गए हैं उसी सभी प्रकार की सहलपित सरलता से मिलती हो ऐसा नहीं है। रूठेठाण, काम, व्यवसाय में अनुकूलता, बिन दलितों का सहकारी वलण, यह तमाम बातों में शहरी दलित अनेकवधि समस्यारै सह रहा है।

नगर में बिन दलित रूठेठाण वसितार में रहने के लिए घर सरलता से नहीं मिल सकता।

व्यापार व्यवसाय करने में मुश्किली।

नौकरी में बिन दलितों के अग्रता दी नहीं जाती। अपूरण प्रतभाव भेदभाववाला बरताव, काम में ढील होती है।

बिन दलित पडोसी हो तो आप-ले का व्यवहार मर्यादित बनता है।

भेदभाव किसी ना किसी स्वरूप में रखा जाता है।

इस प्रकार वर्तमान समय में ग्रामीण, नगरीय समाज में दलितों की परिस्थिति लौकिक व आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन तो जरूर आया है, परन्तु पहचान तो ज्ञातगित ही रही है।

क्या कर सकते हैं ?

(1) शक्तिषण :-

जो छात्रालय की व्यवस्थावाले हो ग्रामीण, नगरीय वसितारों में वैसे व्यवस्था देना वर्तमान जरूरत है।

(2) रोजगारी :-

खातरीपूरण रोजगारी की योजना सार्थक बने।

(3) जरूरत मंदों की जाँच करके ही तक देनी चाहिए।

REFERENCES

- (१) सामाजिक समस्याएँ, राम आहूजा रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवम् नई दिल्ली (१९९४), पृष्ठ-१५१ से १७२, (२) गुजरात में दलित अस्मिता : उदभव, घटन और संवर्धन की प्रक्रिया, अरजुन पटेल सेन्टर फरि शोशल स्टडीस, सूरत (२००४) (३) कोमी रमखनों की राजनीति: निशान - मुसलमि, लक्ष्मीकां पञ्चत जाति, अरजुन पटेल, बहुजन नवजागृती प्रकाशन, सूरत (२०००) (४) गुजरात में अनुसूचित जातियों : डॉ. मनजीभाई एस. मकवाना, सुभाष प्रकाशन, वडोदरा (२०००) (५) गुजरात के वणकरो - एक अधुवन, डॉ. मनुभाई एस. मकवाना, सुभाष प्रकाशन, वडोदरा (२००४) (६) आजादी की आधी सदी और गुजरात में दलितों की परिस्थिति: संपादक-ज्योत्सना एफ. मेकवान, इमुदान आर. वापेला, सुभाष प्रकाशन, वडोदरा (२००९) (७) परिवर्तन की ओर दलित समाज : प्रो.एस.के.परमार, पारश्व पब्लिकेशन, अहमदाबाद (२००५) (८) शहरी दलित युवकों : कथा और वचन डॉ.एच.एल.चावडा, सुभाष प्रकाशन, वडोदरा (२००४) (९) दलित समाज, परिस्थिति और प्रश्नों : डॉ.एच.एल.चावडा, अनुसंधान अधिष्ठान, भावनगर (२००६)